



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052026-272383
CG-DL-E-09052026-272383

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2267]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2267]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

का.आ. 2358(अ).— केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, उक्त संहिता के अध्याय 4 के उपबंधों के अधीन क्षति की वसूली से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों के निष्पादन के लिए, स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारिता के अधीन, प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

क्रम संख्या (1)	अधिकारी का पदनाम (2)	अधिकारिता (3)
1	बीमा आयुक्त या अपर आयुक्त या क्षेत्रीय निदेशक श्रेणी 'क'/निदेशक या क्षेत्रीय निदेशक श्रेणी 'ख'/संयुक्त निदेशक या उप निदेशक	कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उन्हें सौंपी गई अधिकारिता के भीतर

2. इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी, संहिता तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

[फा. सं. आर-19025/21/2026-एस एस-1]

आशुतोष ए. टी. पेडणेकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

S.O. 2358(E).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Central Government hereby authorises the officers specified in column (2) of the Table below to exercise the powers and perform the functions relating to recovery of damages under the provisions of Chapter IV of the said Code, subject to the jurisdiction specified in column (3) thereof, namely:—

Sl. No.	Designation of Officer	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Insurance Commissioner or Additional Commissioner or Regional Director Grade 'A'/Director or Regional Director Grade 'B'/Joint Director or Deputy Director.	Within the jurisdiction assigned to them by the Employees' State Insurance Corporation

2. The officers so authorised shall exercise such powers in accordance with the provisions of the Code and the rules and regulations made thereunder.

[F. No. R-19025/21/2026-SS-I]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.